

सहकार समाचार बुलेटिन

वर्ष : 18

अंक : 06

वार्षिक : 100 रु एक प्रति : 10 रु

फरवरी, 2012

कोटा संभागीय बैठक

समय पर फसली सहकारी ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट-सहकारिता मंत्री



सहकारी समिति एवं कोटा अरबन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से का लाभांश चैक भी भेंट किया गया।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का निर्णय करते हुए नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन मानदण्डों को आसान बनाया है। अब पांच लाख रुपए की हिस्सा राशि और पांच सौ सदस्यों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटा संभाग के कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक ने 662 करोड़ 80 लाख रुपए के फसली सहकारी ऋण उपलब्ध

कराए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के बैंक हैं। काश्तकारों की ऋण जरूरतों को शेष पृष्ठ 2 पर...

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि समय पर फसली सहकारी ऋण जमा कराने वाले काश्तकारों को ब्याज दर में 3

प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने कोटा नागरिक सहकारी बैंक के शीघ्र चुनाव कराने की भी घोषणा की।

श्री मीणा 24 जनवरी को कोटा सहकार भवन में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री तपेश पवार व रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा के साथ कोटा संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि खरीफ में वितरित सहकारी ऋणों को 31 मार्च तक चुकारा करने वाले काश्तकारों से सात प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत ही ब्याज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहरिया आदिवासियों व टीएसपी क्षेत्र में समय पर ऋण जमा कराने वाले काश्तकारों से दो प्रतिशत ब्याज ही लिया जाएगा।

इस अवसर पर केशोरायपाटन क्रय-विक्रय

- चार प्रतिशत की दर से होगी फसली ऋणों की वसूली
- सहरिया व टीएसपी आदिवासियों से 2 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा ब्याज



पृष्ठ 1 का शेष...

समय पर फसली...

पूरा करने के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बूंदी केन्द्रीय सहकारी बैंक को ऋण वितरण हेतु अपेक्स बैंक से 10 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि नए खाद्य सुरक्षा बिल में सहकारी संस्थाओं की प्रमुख भूमिका तय होगी। उन्होंने सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों व रिद्धी-सिद्धी महिला सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण कार्य करने के लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी उपभोक्ता भण्डारों पर फोर्टिफाइड आटा, राज चाय व राज नमक भी बिक्री हेतु रखने को कहा।

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री तपेश पवार ने सहकारी बैंकों की गत वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 2500 सहरिया काश्तकारों को सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से जोड़ने के लिए राजकीय बजट से हिस्सा राशि अनुदान दिया गया है।

श्री पवार ने उपभोक्ता भण्डारों की खरीद व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए बाजार से सस्ती दर पर उपभोक्ता वस्तुएं व दवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सहकारी उपभोक्ता सेवाओं से जोड़ा जा सके।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने तैयार राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में मिनी बैंक शुरू करने, झालावाड़ जिले की 18 सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए कृषि उपकरणों का लाभ काश्तकारों को उपलब्ध कराने, स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ने और उन्हें सक्रिय बनाने के निर्देश दिए।

श्री मेहरा ने रिद्धी-सिद्धी योजना में चयनित महिला सहकारी समितियों को लाइसेंस दिलाकर उचित मूल्य की दुकानों को काम शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी समितियों की समय पर आमसभा आयोजित करने, धारा 57 की वसूली में तेजी लाने, निरीक्षण लक्ष्य पूरे करने, बकाया ऑडिट शीघ्र पूरा करने को कहा।

कोटा संभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार श्री आर.के. जारेडा ने संभाग की सहकारी समितियों की गतिविधियों की जानकारी दी।

मुख्य अंकेक्षक श्री पद्म नारायण शर्मा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री आर.सी.एस. जोधा, परियोजना निदेशक मोनेटरिंग श्री महेन्द्र सिंह जावला, संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री मोहन लाल, महाप्रबन्धक भूमि विकास बैंक श्री गोविन्द गोयल, प्रचार अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया।

संभागीय बैठक में संभाग की सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष गणों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

सहकारी विभाग बचत एवं साख समिति सदस्यों को देगी तीन लाख तक के ऋण

सहकारी विभाग बचत एवं साख सहकारी समिति अपने सदस्यों को 3 लाख रुपए तक के ऋण देगी। यह जानकारी सहकारी विभाग बचत एवं साख सहकारी समिति की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री विजय शर्मा ने दी। समिति स्वयं के प्रोत से सदस्यों को ऋण वितरित कर रही है और किसी भी वित्तदायी संस्था का समिति पर ऋण बकाया नहीं है।

श्री विजय शर्मा ने बताया कि विभागीय बचत एवं साख सहकारी समिति द्वारा सदस्यों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक राशि का ऋण वितरित किया गया है। समिति की हिस्सा राशि 31 मार्च, 10 को बढ़कर एक करोड़ को पार कर गई है। समिति की जमाएं बढ़कर 4 करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक की हो गई है।



सम्मानित किया गया।

समिति के सचिव श्री शंकर लाल शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा वितरित ऋणों की अच्छी वसूली हो रही है। कुछ सदस्यों में अवधिपार बकाया होने की जानकारी देते हुए उन्होंने शीघ्र बकाया राशि जमा कराने का आग्रह किया। आमसभा में वर्ष 2010-11 के लेखे अनुमोदित किए गए।

सहकारिता विभाग बचत एवं साख सहकारी समिति के उपाध्यक्ष श्री अविनाश व्यास ने बताया कि समिति द्वारा दीपावली पर सदस्यों को इंडकेशन प्लेट का उपहार के रूप में वितरण किया। इसी तरह से सदस्यों के प्रतिभाशाली बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर

n\$g {dH\$mg H\$mrf goJm_ gdm ghH\$mar
g_{V` m\$H\$m{dEVr` gh` mJ



ने यह जानकारी पैक्स विकास कोष (पैक्स डवलपमेंट फण्ड) के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए कि वे कोष में निर्धारित राशि जमा कराएं व उपलब्ध राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करें।

श्री मेहरा ने तिजोरी की खरीद, गोदामों की मरम्मत एवं फर्नीचर-फिक्चर्स के लिए निर्धारित राशि में भी परिवर्तन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब गोदामों की मरम्मत हेतु अधिकतम एक लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। कमजोर समितियों के पास कार्यालय-गोदाम के लिए भूखण्ड नहीं होने की स्थिति में भूखण्ड की खरीद के लिए रजिस्ट्रार की अनुमति से राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

श्री मेहरा ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार किया जावे, ताकि प्रशिक्षण में एकरूपता व गुणवत्ता आ सके।

बैठक में महाप्रबन्धक अपेक्स बैंक श्री सुरेन्द्र सिंह, उपमहाप्रबंधक श्री एम.एल. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री मोहन लाल, एमओ आईसीडीपी श्री शिवकुमार बाकोलिया व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध संचालकों में जयपुर के श्री वी.के. वर्मा, पाली के श्री योगेन्द्र यादव, अलवर के श्री इन्दर सिंह व कोटा के श्री प्रदीप सहाय, उपरजिस्ट्रार प्रशासन श्री संजय माथुर ने हिस्सा लिया।

समग्र सहकारी विकास परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन में परियोजना विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

समग्र सहकारी विकास परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन में परियोजना विकास अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी व जिम्मेदारी तय की गई है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि राज्य में इसी वर्ष सितम्बर से जयपुर सहित 11 जिलों में पांच साल के लिए 236 करोड़ रुपए की समग्र सहकारी विकास परियोजना आरंभ की गई है, जबकि 13 जिलों में समग्र सहकारी विकास परियोजना पहले से जारी है।

श्री मेहरा ने बताया कि समग्र सहकारी विकास योजना के परियोजना अधिकारी आवंटित क्षेत्र की कम से कम तीन सहकारी समितियों की व्यावसायिक विकास योजना तैयार करवाकर उसका क्रियान्वयन करवाएंगे। इसके अलावा आवंटित क्षेत्र की तीन

प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों व प्रबंधकारिणी के सदस्यों को सहकारी समितियों के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। क्षेत्र की शतप्रतिशत सहकारी समितियों के विभिन्न मदों में आवंटित मद के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव तैयार कराकर अनुमोदन की कार्यवाही करवाएंगे। परियोजना में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की किशतों की वसूली करेंगे।

श्री मेहरा ने बताया कि परियोजना में तैयार होने वाली परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ ही कम से कम 10 सहकारी समितियों के कार्यों का भौतिक सत्यापन करेंगे। परियोजना विकास अधिकारी माह में 10 दिन दौरे व 6 रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ ही समग्र सहकारी विकास

परियोजना से उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता से समितियों के कार्यों व व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

श्री मेहरा ने बताया कि जिलों में सहकारी आंदोलन को ओर अधिक सक्रिय करने और सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सक्षमता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वित्तीय सहयोग से संचालित यह महत्वाकांक्षी परियोजना है।

परियोजना में पांच साल के दौरान जिले की सहकारी संस्थाओं को हिस्सा राशि, मार्जिन मनी, आधारभूत सुविधाओं में कम्प्यूटर, तिजोरी, फर्निचर-फिक्चर्स, दुकान-गोदामों, भवनों आदि का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा प्रदेश व प्रदेश की बाहर की सहकारी संस्थाओं का भ्रमण व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

सहकारी आवासन संघ की आमसभा संपन्न

पुराने ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना

राज्य सहकारी आवासन संघ के सदस्यों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आमनागरिकों को सहकारिता के माध्यम से सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार आवासन संघ को भूमि एवं आवासों के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करावें।

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ के प्रशासक श्री महेश चंद गुप्ता की अध्यक्षता में 27 जनवरी को नेहरु सहकार भवन में आयोजित आम सभा में सदस्यों द्वारा यह आग्रह किया गया।

आवासन संघ के प्रशासक श्री महेश चंद गुप्ता ने आमसभा को संबोधित करते हुए बताया कि संघ के

अवधिपार बकाया ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। योजना के



अनुसार दण्डनीय ब्याज में पूरी छूट के साथ ही ब्याज राशि में भी 25 प्रतिशत की रियायत दी गई है। शिविरों में ही समझौता योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवासन संघ द्वारा दौसा में भूमि प्राप्त कर आवासीय योजना चालू करने का

कार्यक्रम है, वहीं बारां जिले के अठरु में आवासन संघ की भूमि पर भूखण्ड आवंटन के लिए जिला कलक्टर से अनुमति ली जा रही है।

आवासन संघ के प्रबंध संचालक श्री मोहन लाल ने बताया कि 1344 सदस्यीय आवासन संघ की हिस्सा पूंजी 253 लाख 14 हजार रुपए हैं। उन्होंने बताया कि संघ की बेबी ब्लॉक एवं व्यक्तिगत आवासीय ऋणों की वसूली 90 प्रतिशत तक हो रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में वितरित पुराने ऋण बकाया होने से संघ की गतिविधियां प्रभावित हो रही है।

आमसभा में अतिरिक्त रजिस्ट्रार लक्ष्मी बैरवा, आर.के. पुरी, उपरजिस्ट्रार हाऊसिंग शोभा कौशिक व सदस्यों ने हिस्सा लिया।

एकमुश्त समझौता योजना 30 जून तक

अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें - रजिस्ट्रार

केन्द्रीय सहकारी बैंकों व भूमि विकास बैंकों के अवधिपार सहकारी ऋणों की वसूली के लिए घोषित एकमुश्त समझौता योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए योजना की अवधि 30 जून, 12 तक बढ़ाई गई है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि सहकारी बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली की इस आकर्षक योजना की जानकारी अधिक से अधिक सदस्यों तक पहुंचाई जावे, ताकि योजना के दायरे में आने वाले ऋणी सदस्य लाभान्वित होते हुए सहकारी ऋण सुविधा से वापिस जुड़ सकें।

श्री मेहरा ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार बकाया के दोषी ऋणियों को एक मुश्त समझौता योजना में ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। योजना में दोषी सदस्यों को दण्डनीय ब्याज और वसूली व्यय की शतप्रतिशत राशि की राहत दी गई है। मृतक ऋणियों के मामलों में मृत्यु दिनांक से समझौता होने तक की तिथि तक का किसी तरह का कोई ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च नहीं वसूला जाएगा। पर सम्पूर्ण अवधिपार मूल राशि वसूली जाएगी। सहकारी भूमि विकास बैंकों के कृषि और अकृषि अवधिपार

सहकारी ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना का लाभ 31 मार्च, 2010 को संदिग्ध एवं हानिकारक आस्तियों की श्रेणियों में वर्गीकृत ऋणियों को मिलेगा। गबन या दुरुपयोग के निर्णित, पंजीकृत या विचाराधीन प्रकरणों में इस योजना में लाभ देय नहीं होगा। कड़ी बन्धित ऋणों और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों व निदेशकों द्वारा लिए गए ऋणों अथवा इनके द्वारा दी गई गॉरन्टी वाले ऋणों पर एकमुश्त समझौता योजना का लाभ देय नहीं है। पर ऐसे कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवा काल या सेवा काल के पश्चात् हो गई है, उनके वारिस इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। एक मुश्त समझौता योजना में अवधिपार सहकारी ऋणों के दोषी ऋणियों को संबन्धित बैंक में आवेदन करना होगा। समझौतानुसार राशि जमा नहीं कराने पर किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी। राहत स्वीकृति के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें सचिव भूमि विकास बैंक सदस्य सचिव होंगे।

श्री मेहरा ने बताया कि इसी तरह केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कृषि-अकृषि ऋण राहत योजना की अवधि भी 30 जून, 12 तक बढ़ा दी गई है। यह योजना राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कृषि एवं अकृषि बकाया अवधिपार ऋणों पर लागू है। अवधिपार बकाया ऋणों के दोषी सदस्यों से बकाया राशि पर दण्डनीय ब्याज नहीं लिया जाएगा और अवधिपार होने की तिथि से ही साधारण ब्याज अर्थात् 12 प्रतिशत

या ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज दर में से जो भी कम होगी, उस दर से ब्याज की गणना की जाएगी। सहकारी संस्थाओं, बैंक के निदेशकों, कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण अथवा बैंक निदेशकों एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा गॉरन्टी से दिए गए अवधिपार ऋणों पर इस योजना का लाभ देय नहीं है। किसी भी व्यवसाय, गतिविधियों या उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए कृषि-अकृषि ऋण जो 31 मार्च, 10 को अशोध्य व संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत हो गए हो, उन्हें इस समझौता योजना के तहत राहत प्रदान की जा सकेगी। सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गबन, दुरुपयोग के दर्ज प्रकरणों में इस योजना का लाभ देय नहीं है। इसी तरह से ऐसे ऋण जिनकी वसूली कड़ी बन्धित उदाहरणार्थ वेतनभोगी सहकारी समिति को ऋण, ऋण लेने के बाद ऋण खाते में मूल या देय ब्याज के विरुद्ध कोई राशि जमा नहीं कराने वाले ऋणियों को इस योजना में लाभ देय नहीं है। समझौते के लिए प्राप्त आवेदनों पर प्रबन्ध निदेशक संबन्धित बैंक की अध्यक्षता में गठित समिति में निर्णय किया जाएगा। राहत योजना में ऐसे ऋणी जिनकी 31 मार्च, 10 से पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, उन प्रकरणों में अवधिपार होने से मृत्यु की दिनांक तक साधारण ब्याज लिया जाएगा तथा मृत्यु दिनांक से समझौता अवधि तक का किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना का उद्देश्य अवधिपार बकाया सहकारी ऋणों के दोषी सदस्यों को बकाया राशि जमा कराने का अवसर प्रदान कर पुनः सहकारी साख व्यवस्था से जोड़ना और सहकारी बैंकों की अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में घोषित गैरनिष्पादित आस्तियों में कमी लाना है।



सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेहरू सहकार भवन में झण्डारोहण किया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

सहकारिता विभाग में 92 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निस्तारण

कम्प्यूटरीकृत मोनेटरिंग व्यवस्था

सहकारिता विभाग में प्राप्त जन अभाव अभियोग प्रकरणों की नियमित समीक्षा व्यवस्था का परिणाम रहा है कि विभाग में राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों से प्राप्त याचिकाओं का तेजी से निस्तारण होने लगा है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था में पाक्षिक समीक्षा से सहकारिता विभाग में विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों (याचिकाओं) का 92 प्रतिशत तक निस्तारण हो रहा है। विभाग को राज्य सरकार, सहकारिता मंत्री व विभिन्न स्तरों से 2206 प्रकरण

प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2031 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। केवल 166 याचिकाएं विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त प्रकरणों को याचिका मानते हुए कम्प्यूटरीकृत मोनेटरिंग व्यवस्था से जोड़ा जाता है। इस कम्प्यूटरीकृत मोनेटरिंग व्यवस्था के अनुसार संबंधित अनुभाग को वह याचिका निस्तारण हेतु भेजी जाती है। याचिका के निस्तारण के बाद कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के द्वारा ही रजिस्ट्रार द्वारा याचिका



को निस्तारित अंकित करने के बाद कम्प्यूटर पर निस्तारित माना जाता है। इससे यह भी पता रहता है कि सबसे पुरानी याचिका कितने समय से किस स्तर पर पेंडिंग है।

श्री मेहरा ने बताया कि इस मोनेटरिंग व्यवस्था से प्राप्त

याचिकाओं का कम्प्यूटर में अंकन होने के साथ ही पाक्षिक समीक्षा बैठक में मोनेटरिंग होने से निस्तारण कार्य में गति आई है। इसी तरह से विभाग में प्राप्त अन्य पत्रों की प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विभाग में प्राप्त 2781 पत्रों में से 2668 पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। इस तरह से अन्य प्राप्त पत्रों का निस्तारण प्रतिशत भी 96 फीसदी से अधिक रहा है। जनअभाव अभियोगों और प्राप्त पत्रों की रजिस्ट्रार द्वारा सभी फंक्शनल अधिकारियों की बैठक में नियमित समीक्षा से प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो रहा है।



प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री तपेश पवार ने गणतंत्र दिवस पर राजफैड प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा सहित राजफैडके अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

त; ij dshh I gdkjh cbl dh plj ubZ' kk[kk, a [kysxh I nL; kadsfeyxk ykHak

t; ij dshh; I gdkjh cbl dk'rdkja ,oa vU; ukxfj dka dks fudVre LFkku I s__k o vU; cldax I fpo/kk mi yC/k djkus ds fy, bl o"lz t; ij ftys ea plj ubZ 'kk[kk, a [kksyxa cbl t; ij ftys dh lex I gdkjh fodkl ifj; kst uk I sl ello; cukrs gq ftys dh I gdkjh I k[k I k.FkKvka ea vk/kkj Hkur I fpo/kk/vka dk foLrkj djrs gq xskne] nplku] Ouhpj&ODpl I vkfn Hkh mi yC/k dj k, xhA ; g tkudkj vkt



tk pplk gSo vU; 'kk[kk/vka ds dEl; Wjhdj .k dk dk; Z tkjh gA

cbl ds icdk I plkyd Jh oh-ds oekZ us crk; k fd bl o"lz dk'rdkja dks 400 dj kM+ #i, dk __.k forj .k dk dk; Zde gA mlugkaus crk; k fd dYir#] xkVMu dYir#] elj xst __.k] d"kd fe= ; kst uk] d"kd I ef] ; kst uk] xteh .k vkokl ; kst uk o VDVJ ds fy, udn __.k forj .k ; kst uk dk ykHk ftys ds fdl kuka o vU; ukxfj dka dks mi yC/k dj k; k tk jgk

; gka us# I gdkj Hkou ea dshh; I gdkjh cbl t; ij dh okf"kd I k/kj .k I Hkk dks I cks/kr djrs gq cbl v/; {k Jh Hkaj yky tknwus nHA mlugkaus vke I Hkk ea cbl I plkydka Lefr fplg o 'kkNy I sl Eekfur fd; kA

v/; {k Jh tknwus crk; k fd cbl us tky I w, oaxkfoln x<+eaubz'kk[kk, avkjHk dj nh gS vkj 'kh?kz gh dndj [kM/k] egjkuk Qy&I Cth ea Mh] Vkad QkVd o dksV [kkcnk ea uohu 'kk[kk vkjHk dh tk, xhA mlugkaus crk; k fd cbl ,d dj kM+ I s Hkh vf/kd ds ykHk ea gS vkj I nL; I febr; ka dks ykHk k forj r fd; k tk, xkAmugkaus crk; k fd cbl dh oS kkyhuxj] dyDVW foLrkj] I kakkuj 'kk[kk dEl; Wjhdj .k fd; k

gA Jh oekZ us crk; k fd cbl }kj k dk'rdkja dh I k[k I hek c<kdj , d yk[k dj nh xbz gS vkj dk'rdkja dks vc xte I ok I gdkjh I febr ds feuh cbl I sgh __.k forj .k fd; k tk jgk gA vke I Hkk eav/; {k I kFkfed I gdkjh Hkne fodkl cbl Jh yknwike] mijftLVkj t; ij Jh ctbnz jktkj; k] I fpo Hkne fodkl cbl Jh enu yky o ftys dh xte I ok I gdkjh I febr; ka o foi .ku I febr; ka ds v/; {kka o vU; I nL; kausfgl I fy; kA



सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सहकारिता विभाग के योजना अनुभाग में कार्यरत श्री योगेश माथुर को सम्मानित किया।



शाहपुरा में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में श्री उमेश शर्मा निरीक्षक व प्रबंधक शाहपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति को सम्मानित किया गया।

सहकारी भूमि विकास बैंकों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के भर्ती नियमों में संशोधन

सहकारिता विभाग ने सहकारी भूमि विकास बैंकों में विभिन्न संवर्गों में सीधी भर्ती से भरने वाले पदों के भर्ती नियमों में संशोधन किया है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा द्वारा जारी संशोधन आदेशों के अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंकों में सीधी भर्ती के विभिन्न संवर्गों के पदों को भरने के लिए नोडल संस्था राइसम होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित स्वतंत्र भर्ती संस्थान के माध्यम से संपादित होगी। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण नोडल एजेन्सी द्वारा रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में होने वाले व्यय की पूर्ति परीक्षा शुल्क से नहीं होने की स्थिति में शेष व्यय का वहन संबंधित बैंकों द्वारा नियुक्तियों के अनुपात में किया जाएगा।

श्री मेहरा ने बताया कि पदों की रिक्तियों की सूचना नोडल संस्था द्वारा प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से संवर्गवार रिक्त पदों का विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मांगे जाएंगे। इस विज्ञापन में विभिन्न संवर्गों हेतु विभिन्न बैंकों में उपलब्ध कुल पदों की संख्या, आरक्षित पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आयु, अपेक्षित कार्यानुभव, वेतनमान, परीक्षा योजना, परीक्षा शुल्क व

परीक्षा केन्द्रों का विवरण शामिल होगा। उन्होंने बताया कि नोडल संस्था की वेबसाइट पर पर भी यह सूचना उपलब्ध होगी।

रजिस्ट्रार श्री मेहरा ने बताया कि विभिन्न पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से वरियता सूची के

राइसम होगी नोडल संस्था स्वतंत्र भर्ती संस्था करेगी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी

आधार पर किया जाएगा। अधिकारी वर्ग के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अंग्रेजी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल फाईनेन्शिएल अवेयरनेस व राजस्थान का सामान्य ज्ञान विषय की लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह से बैंकिंग सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संवर्ग के लिए अंग्रेजी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्लेरिकल एप्टीट्यूड व राजस्थान का सामान्य ज्ञान विषय की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे। इस परीक्षा में किसी भी विषय में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल अंकों के कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति व

जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभिशंसित चयन सूची तथा पदों के बराबर ही एक अभिशंसित प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। यह सूची परीक्षा परिणाम जारी होने के छह माह तक प्रभावी रहेगी।

श्री मेहरा ने बताया कि नोडल संस्था द्वारा अभिशंसित चयन सूचियां संबंधित बैंकों को भेजी जाएगी और नियुक्ति आदेश संबंधित बैंक के उपनियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। चयन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति हेतु अभिशंसित अभ्यर्थियों को प्रथम दो वर्ष के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा व नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते व परिलाभ देय नहीं होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती नियमानुसार की जाएगी। नियुक्ति हेतु अभिशंसित किए गए अभ्यर्थियों को सेवा ज्वाइन करने से पूर्व निर्धारित आवश्यक औपचारिकताएं व तीन वर्ष को बॉण्ड निष्पादित करवाया जाएगा।



सहकारिता मंत्री ने किशनगंज व शाहबाद में लिया सहकारी गतिविधियों का जायजा

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीण ने किशनगंज क्षेत्र में सुभाषघट्टी लैम्पस के परानिया ग्राम स्थित मिनी बैंक पर 41 सहरिया सदस्यों को ऋण वितरण किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों एवं तहसीलदार को संयुक्त रूप से कैम्प आयोजित कर शेष सभी सहरिया सदस्यों की साख सीमा आवेदन की पूर्ति कर ऋण वितरण के निर्देश दिए।

शाहबाद क्षेत्र में शाहबाद लैम्पस की शुभधरा ग्राम पंचायत पर स्थित मिनी बैंक का उद्घाटन करते हुए सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने आई.सी.डी.पी. के सहयोग से 100 मैट्रिक टन का गोदाम बनवाने और शुभधरा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तावित नई लैम्पस गठन की घोषणा की। सहरिया परिवारों को ऋण वितरण के दौरान सभी सदस्यों को 15-15 हजार रु. का ऋण वितरित करते हुए उन्होंने सहरिया विकास परियोजना निदेशक एवं ए.डी.एम. शाहबाद एवं बैंक प्रबन्ध निदेशक, बैंक को सभी सहरिया परिवारों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सदस्य बनाते हुए ऋण वितरण करने को कहा।

बारां जिले के सहरिया दौरे के दौरान श्री मीणा ने श्री सीताराम सहरिया के निवास पर भोजन किया। उन्होंने श्री सहरिया के पुत्र का जयपुर में ईलाज कराने का भी आश्वासन दिया।

श्री महावीर स्वामी व विकास भवन निर्माण सहकारी समिति में अवसायक नियुक्त

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर संभाग श्री सोमदत्त ने जयपुर शहर की श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति में तकनीकी सहायक उपरजिस्ट्रार जयपुर शहर को अवसायक नियुक्त किया है। इसी तरह से विकास भवन निर्माण सहकारी समिति में श्रीमती संतोष कराडिया को अवसायक लगाया है।

श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति एवं विकास भवन निर्माण सहकारी समिति में अवसायक नियुक्ति से अब किसी भी तरह की समिति से संबंधित कार्यवाही समिति के पूर्व पदाधिकारियों से नहीं की जावे व समिति से संबंधित किसी भी लेनदारी-देनदारी व अन्य कार्य के लिए अवसायक से ही संपर्क किया जावे।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर संभाग श्री सोमदत्त ने बताया कि श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा समिति के उपनियमों की पालना नहीं करने, ऑडिट नहीं करवाने, 31 मार्च को प्रस्तुत की जाने वाली सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं करने और धारा 55 व सहकारिता नियम, 2003 की निरंतर अवहेलना करने पर अवसायक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि समाचार पत्रों में श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ फर्जी पट्टों से करोड़ों की ठगी समाचार प्रकाशित होने के बाद आवंटियों से धोखाधड़ी बावत जांच में भी समिति द्वारा सहयोग नहीं किया गया।

इसी तरह से सहकारिता अधिनियम की धारा 61(1) के तहत नोटिस जारी कर विकास भवन निर्माण सहकारी समिति को सुनवाई का अवसर दिया गया था। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अवसर दिए जाने पर भी किसी तरह का संतोष जनक उत्तर नहीं दिए जाने पर सहकारिता अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार समिति को अवसायन में लाने का आदेश जारी कर निरीक्षक श्रीमती संतोष कराडिया को अवसायक लगाया है। श्री सोमदत्त के अनुसार समिति द्वारा ऑडिट नहीं कराने, 31 मार्च को प्रस्तुत की जाने वाली सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं करने, समिति के उपनियमानुसार कार्य नहीं करने आदि के कारण अवसायन में लाया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, 2012

विश्व अर्थव्यवस्था में सहकारिता के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2012 को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का आधार बिन्दु "सहकारी उद्यम से बेहतर विश्व का निर्माण" रखा गया है। इससे आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका प्रतिपादित होती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करते हुए समूचे विश्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमारे देश और प्रदेश में भी अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर विभिन्न



कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सेमिनार, कार्यशालाएं, शिक्षण-प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियां,

नवाचार कार्यक्रमों का आरंभ आदि शामिल है।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन में सहकारिता के प्रति जनचेतना जागृत कर सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदार बनते हुए विकास के शताब्दी लक्ष्यों को हासिल करना, सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सरकार द्वारा सशक्त सहकारी आंदोलन के विकास के लिए आवश्यकतानुसार सहकारी नीति व सिद्धान्त तैयार कर सहकारिता का संख्यात्मक विस्तार व गुणात्मक सुधार करना है।

राष्ट्रीय सहकार मेला अप्रैल में आयोजन की तैयारियां शुरू

सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सहकार व्यापार व मसाला मेले का अप्रैल में जयपुर में आयोजन किया जाएगा। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया है कि अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को देखते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय सहकार मेले को और अधिक आकर्षक, बहुआयामी और सभी आयुवर्ग के लिए बहुपयोगी बनाया जाएगा। श्री मेहरा ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार सुश्री लक्ष्मी बैरवा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर संभाग श्री सोमदत्त, प्रबंध संचालक उपभोक्ता संघ श्रीमती शशीकला शर्मा और प्रचार अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा के साथ सहकार मेले के आयोजन के संबंध में नेहरू सहकार भवन में आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अप्रैल में सहकार व्यापार मेले का समावेश करते हुए राष्ट्रीय सहकार व्यापार व मसाला मेले का आयोजन किया जावेगा। उन्होंने बताया कि सामान्यतः अप्रैल में सहकार मसाला मेले का आयोजन ही किया जाता है पर इस बार अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को देखते हुए अन्य प्रदेशों की भी भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे व्यापार व मसाला मेले के रूप में आयोजित किया जाएगा।

श्री मेहरा ने बताया कि मेले के आयोजन की जिम्मेदारी अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर को दी गई है।



मेले का आयोजन उपभोक्ता संघ के समन्वय से किया जाएगा। सहकारिता विभाग का प्रचार अनुभाग सहकार मेले के आयोजन के लिए नोडल अनुभाग रहेगा। उन्होंने कहा कि सहकार मेले की विशिष्ट पहचान को बनाए रखा जाएगा।

श्री मेहरा ने बताया कि राष्ट्रीय सहकार व्यापार व मसाला मेले का आयोजन पूरी तरह सहकारिता की मूल भावना को आधार बनाते हुए व्यावसायिक दृष्टिकोण से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सहकार मेला अधिक से अधिक आकर्षक व लोकलुभावन बन सके। उन्होंने सहकार मेले में अन्य प्रदेशों की ओर अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्य प्रदेशों से अभी से समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेले में उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता और उचित मूल्य पर विशेष जोर देने पर बल दिया। श्री मेहरा ने बताया कि राष्ट्रीय सहकार मेले को स्ववित्तपोषण के आधार पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहकार मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सहकार मेले के प्रति जयपुरवासियों के विशेष उत्साह को देखते हुए इसे और अधिक उपादेय, आकर्षक और मनोहारी बनाया जाएगा।